Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Investor Education and Protection Fund Authority
Ground Floor, Jeevan Vihar Building,
3, Parliament Street, New Delhi-110001

E-file No: 284374
Dated: 31.07.2025

PUBLIC NOTICE

Subject: Mandatory Filing of Form IEPF-1A with Prescribed Excel Template under Rule 5 (4A) of the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

– Final Compliance Deadline: 30.08.2025

The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), in exercise of its regulatory mandate under the Companies Act, 2013, had directed all concerned companies to ensure strict compliance with the provisions of Rule 5 (4A) of the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as inserted vide Notification G.S.R. 571(E) dated 14th August 2019 w.e.f. 20th day of August, 2019 which reads as under:-

*"**(4A)** The companies which have transferred any amount referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) to Investor Education and Protection Fund or Central Government, but have not filed the statement or have filed the statement in any format other than in excel template, as required under sub-rule (1) of rule 5, shall submit details mentioned in sub-rule (1) of rule 5 in **Form No. IEPF – 1A** along with **excel template** within **sixty days** of notification of these amended rule."*

2. As per above, a company is mandatorily required to file Form IEPF-1A along with the prescribed Excel template if:

- Any amount referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of Section 205C of the Companies Act, 1956 has been transferred to the IEPF or Central Government **without submitting** the required statement in any format other than in excel template, as required under sub-rule (1) of rule 5, or

- The companies filed Form IEPF-1 under clauses (a) to (n) of sub-section (2) of Section 125 of the Companies Act, 2013 in **any format other than the mandated Excel template** after the notification date.

2.1 The due date for this compliance was **60 days from the date of the Notification dated 20th August, 2019.** The Authority has observed that despite multiple instructions and adequate time provided, over **3,000 companies** (comprising 1758 listed and 1103 unlisted companies) **have not filed** Form IEPF1A or have **submitted statements in non-compliant formats**. Currently, the Authority holds more than **31,000 SRNs** of IEPF-1/7 that were filed in formats other than the Excel template which leads to difficulty in identifying the amounts due to the investor, leading to short payments and investor complaints.

3. As the IEPFA has moved to MCA21 V3, companies that have not filed **Form IEPF-1A along with the prescribed Excel template may do so within 30 days of the issue of this notice.** A list of relevant SRNs, along with the applicable Excel templates, shall be shared with the Nodal Officers of the companies via their registered email addresses. This measure is intended to facilitate faster disbursal of claims.

4. Companies are hereby informed that **failure to comply with the above directive on or before 30.08.2025 shall attract regulatory action** under the provisions of the Companies Act, 2013.

5. All stakeholders are **hereby directed** to ensure compliance with the above requirements.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

IEPF Authority
Ministry of Corporate Affairs
Government of India

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
भूतल, जीवन विहार बिल्डिंग,
3, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-फाइल न.: 284374
तारीखः 31.07.2025

सार्वजनिक सूचना

विषय: आईईपीएफ (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5 (4क) के तहत निर्धारित एक्सेल टेम्पलेट के साथ प्ररूप आईईपीएफ-1क की अनिवार्य फाइलिंग।

-अंतिम अनुपालनीय समय सीमा: 30.08.2025

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपने विनियामक अधिदेश का प्रयोग करते हुए सभी संबंधित कंपनियों को आईईपीएफ (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (नियम) के नियम 5 (4क) के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया था, जैसा कि दिनांक 14 अगस्त 2019 की अधिसूचना सा.का.नि 571(अ) द्वारा 20 अगस्त, 2019 से सम्मिलित किया गया है, जो निम्नानिसार है:-

*"**(4क)** जिन कंपनियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट किसी भी राशि को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि या केंद्र सरकार को अंतरण कर दिया है, लेकिन नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत यथा अपेक्षित विवरण फाइल नहीं किया है या एक्सेल टेम्पलेट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में विवरण फाइल किया है, उन्हें इन संशोधित नियमों की अधिसूचना के **साठ दिनों** के भीतर **एक्सेल टेम्पलेट** के साथ **प्ररूप संख्या आईईपीएफ-1क** में नियम 5 के उप-नियम (1) में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे।"*

2. उपरोक्त के अनुसार, किसी कंपनी को निर्धारित एक्सेल टेम्पलेट के साथ प्ररूप आईईपीएफ–1क फाइल करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है यदि:

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट कोई भी राशि, नियम 5 के उपनियम (1) के तहत अपेक्षित एक्सेल टेम्पलेट के अतिरिक्त

किसी अन्य प्रारूप में अपेक्षित विवरण **प्रस्तुत किए बिना आईईपीएफ** या केंद्र सरकार को अंतरित कर दी गई हो, या

- कंपनियों ने अधिसूचना की तारीख के पश्चात **अनिवार्य एक्सेल टेम्पलेट के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (2) के खंड (क) से (ढ़) के तहत प्ररूप आईईपीएफ-1 फाइल किया हो।

2.1 इस अनुपालन की नियत तारीख **अधिसूचना की तारीख अर्थात 20 अगस्त, 2019 से 60 दिनों के भीतर थी।** प्राधिकरण ने पाया है कि कई निर्देशों और पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी, **3,000 से अधिक कंपनियों** (जिनमें 1758 सूचीबद्ध और 1103 गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं) ने प्ररूप आईईपीएफ1क **फाइल नहीं किया है** या **गैर-अनुपालन प्रारूपों में विवरण प्रस्तुत किए हैं।** वर्तमान में, प्राधिकरण के पास आईईपीएफ–1/7 के **31,000 से अधिक एसआरएन** हैं जो एक्सेल टेम्पलेट के अतिरिक्त अन्य प्रारूपों में फाइल किए गए थे, जिससे निवेशक की देय राशि की पहचान करने में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप कम भुगतान और निवेशक शिकायतें होती हैं।

3. चूँकि आईईपीएफए अब एमसीए21 वी3 में परिवर्तित हो गया है, इसलिए जिन कंपनियों ने **निर्धारित एक्सेल टेम्पलेट सहीत आईईपीएफ–1क प्ररूप फाइल नहीं किया है, वे इस सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा कर सकती हैं।** संबंधित एसआरएन की सूची, लागू एक्सेल टेम्पलेट सहित, कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ उनके पंजीकृत ईमेल पतों के माध्यम से साझा की जाएगी। इस उपाय का उद्देश्य दावों के शीघ्र निपटान को सुगम बनाना है।

4. कम्पनियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **30.08.2025 तक या उससे पहले उपरोक्त निदेश का अनुपालन न करने** पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत **विनियामक कार्रवाई की जाएगी।**

5. सभी हितधारकों को उपरोक्त अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने **का निदेश** दिया जाता है।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

आईईपीएफ प्राधिकरण
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार